प्रशिक्षण दर्पण त्रैमासिक पत्रिका

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल, भुसावल 425203

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आय.एस.ओ. 9001.2008 प्रमाणित प्रथम क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

फोन : 02582 - 222678 / 224600
रेलवे - 54900 / 54918 / 54920
वेबसाईट - रेलनेट - http:\\10.154.26.100\

फैक्स - 02582 - 222678
ई-मेल - zrtibsl@gmail.com
इंटरनेट - www.zrtibsl.com

वर्ष - षष्ठम | अंक - बाईसवां | अक्टुबर से दिसंबर 2011

मुख्य संपादक की कलम से

संस्थान की पत्रिका प्रशिक्षण दर्पण के इस अंक का संपादकीय लिखते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है यह पत्रिका संस्थान के क्रियाकलापों को उजागर करने के साथ साथ नित्य महत्वपूर्ण लेख समाहित करती है।

पत्रिका के संपादक मंडल को मैं बधाई देता हूं पत्रिका को बेहतर बनाने हेतु प्रबुद्ध पाठकों के सुझाव आमंत्रित करता हूं। शुभकामनाओं सहित ।

एल.एम.सैयद
प्राचार्य

धुंध और कोहरे के मौसम में गाडियों का संचालन

ज्वाला प्रसाद (वरि.याता प्रशिक्षक)

(GR-3.03, 3.69 और SR-3.49-1, 3.61-1(d), 3.69-3, 4.08-3)

1. धुंध, कोहरे तथा तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो तब दिन के समय भी रात के सिगनलों का उपयोग किया जायेगा।
2. धुंध और कोहरे के मौसम में स्थावर सिगनल की बत्तियां अवश्य जलानी चाहिए।
3. घने कोहरे के मौसम में गाडियों को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए :-

(i) लोको पायलट को ब्रेक पावर, लोड एवं दृश्यता आदि के आधार पर गाडी को उस गति से चलाना चाहिए जिस पर वह नियंत्रण रख सके।

(ii) पूर्ण ब्लॉक पध्दति में लोको पायलट उस गति से गाडी चलाएगा जिस पर वह नियंत्रण कर सकता है ताकि कोई बाधा होने पर वह कम दूरी पर गाडी को रोकने के लिए तैयार रह सके तथा ऐसी गति 60 Kmph से अधिक नही होगी।

(iii) स्वचल सिगनल क्षेत्र में लोको पायलट उस गति से अधिक गति पर गाडी नहीं चलाएगा जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है :-

हरा सिगनल - 60 Kmph
दो पिला सिगनल - 30 Kmph
एक पिला सिगनल - प्रतिबंधित गति से जिसे अगले रोक सिगनल पर गाडी रोकने के लिए तैयार रहे।

(iv) लाको पायलट को आगे के फाटक को बंद रखने के लिए तथा सडक उपयोगकर्ताओं को समपार पर गाडी पहुँचने की सूचना देने के लिए बार-बार सीटी बजाकर सचेत करेगा।

4. जब कोहरे या तूफानी मौसम अथवा आंधी के कारण स्टेशन से सिगनल दिखाई न पडते हों, तो :-

(i) ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन के सिगनल प्रज्वलित कर दिये गये हैं।

(ii) वह स्टेशन के दोनों ओर एक-एक प्रशिक्षित फॉग सिगनल मेन कार्य करने के लिए कुहांसा संकेतक खंबे पर भेजेगा।

(iii) कोहरा संकेतक खंबा केवल उन्हीं स्टेशनों पर लगाया जायेगा जहां पटाखा लगाने की आवश्यकता है।

(iv) ये खंबे स्टेशनों पर प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर लगाये जाते हैं।

(v) कुहांसा संकेतक खंबा स्टील ट्रफ स्लीपर या लकडी के स्लीपर का खंबा होगा जिस पर बारी-बारी से काली और सफेद तिरछी धारियां पडीं होंगी। यह जमीन पर सीधा खडा लगाया जायेगा।

5. कोहरे के दौरान की जाने वाली कार्यवाही :-

(i) जिन स्टेशनों पर लगाकर कोहरा रहता हो उन स्टेशनों के नाम मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

(ii) ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन के चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने के लिए नामित किये जायेंगे।

(iii) दोहरी लाइन वाले जिन स्टेशनों पर महीने में सात दिन कोहरा पडता है ऐसे स्टेशनों को कोहरा वाला स्टेशन नामित किया जायेगा और इसके लिए अलग से कुहासियों को नियुक्त किया जायेगा।

6. धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम के समय पटाखे लगाने की आवश्यकता

(i) जहां पटाखा लगाना आवश्यक हो वहां प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर दो पटाखे लगाये जायेंगे जो पहला पटाखा 270 मीटर की दूरी पर (FSP के पास) तथा दूसरा पटाखा उससे 10 मीटर की दूरी पर लगाया जायेगा।

(ii) "A" श्रेणी स्टेशन पर जहां चेतावनी सिगनल लगा है वहां होम सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखे लगाये जायेंगे।

(iii) "B" श्रेणी स्टेशन पर TALQ में आउटर सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखे लगाये जायेंगे।

(iv) बहुसंकेती सिगनलिंग व्यवस्था में जहां अकेला डिस्टेंट सिगनल लगा हो वहां होम सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखे लगाये जायेंगे।

(v) कोहरा संकेत खंबा केवल उन्हीं स्टेशनों पर लगाया जायेगा जहां पटाखा लगाने की आवश्यकता है।

(7) कोहरे के समय निम्नलिखित परिस्थितियों में लोको पायलट को रोक सिगनल का स्थान बताने के लिए पटाखे लगाने की आवश्यकता नहीं है :-

(i) जिन सेक्शनों में विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपकरण (FSD) लगाये गये हैं।

(ii) जहां पूर्व चेतावनी की पर्याप्त सुविधा है अर्थात जहां स्टेशनों पर डबल डिस्टेंट सिगनल लगाये गये हों।

(iii) ऐसे स्टेशन जहां अधिकतम 15 Kmph गति की अनुमति है चाहे स्टेशन पर पूर्व चेतावनी सिगनल नही लगाया गया हो किंतु वहां चेतावनी बोर्ड लगा हो।

(iv) जहां खंड की गति 50 Kmph से कम हो किंतु 15 Kmph से अधिक हो तथा स्टेशन का पहला सिगनल रोक सिगनल नही है।

(v) स्वचल सिगनल क्षेत्र में

(vi) फाटक सिगनल पर

(vii) प्रस्थान सिगनल पर

(viii) रेलपथ/ऊपरी उपस्कर/सिगनल के अनुरक्षण के कारण जिस स्थान पर अस्थायी गति प्रतिबंध लागू किया गया हो।

8. शीत ऋतु के आगमन को देखते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाते हैं जिनका कडाई से पालन किया जाना चाहिए :-

(i) सर्व संबंधित कर्मचारियों को कोहरे के मौसम में संबंधित पूर्ण सावधानियों के बारे में परामर्श दिया जाना चाहिए।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षित कर्मचारी और पटाखे पर्याप्त मात्रा में हैं।

(iii) सिगनलों में उचित प्रकाश और फोकस है।

(iv) स्टेशन संचालन नियम के अनुसार दृश्यता परीक्षण लक्ष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(v) दृश्यता सुधारने के लिए सभी अभियांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार, ऊपरी ऊपस्कर तथा दृश्यता परीक्षण लक्ष्य बोर्डों की पनु :रंगाई की जाए।

(vi) LWR एवं CWR वाले क्षेत्र में शीतकालीन गश्त की ध्यानपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए।

(vii) साईटिंग बोर्डों के पास रेल-पथ के आर-पार सफेदी की निशानी बनाई जानी चाहिए।

(viii) रेल जोडों की खराबी को टालने के लिए पहले से उपाय किये जाने चाहिए।

9. धुंध और कोहरे के समय स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-

(i) यदि दृश्यता प्रभावित है तो दिन के समय भी रात के सिगनलों का उपयोग किया जायेगा तथा स्थावर सिगनल की बत्तियां अवश्य जलानी चाहिए।

(ii) सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 के प्रावधानों के अनुसार किसी आने वाली गाडी के चालक को सावधान करने के लिए आवश्यकतानुसार पटाखे लगाये जाने चाहिए।

(iii) आगमन अनुमति देने के बाद नॉन-आइसोलेटेड लाइनों पर किसी प्रकार का शंटिंग कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) सामान्य नियम 5.18 के अनुसार प्रस्थान सिगनल के आगे नहीं भेजा जाना चाहिए।

(v) बिना टेल लेम्प/टेल बोर्ड की गाडी गुजरने पर अगले स्टेशन मास्टर तथा सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करके अगले स्टेशन पर गाडी को रोकना चाहिए। यदि आखिरी बत्ती बुझी हो लेकिन स्टेशन कर्मचारियों को बत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो तो पिछला ब्लॉक सेक्शन क्लियर किया जायेगा।

(vi) गाडी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के बाद ही पिछले ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करना चाहिए।

(vii) विपरीत दिशा से आने वाली गाडी के स्थावर सिगनलों को ऑन स्थिति में कर देना चाहिए।

(viii) गाडी के चालक और गार्ड को सतर्कता पूर्वक आगे बढने और किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।

10. धुंध और कोहरे के समय चालक एवं गार्ड के कर्तव्य :-

(i) लोको पायलट को ब्रेक पावर, लोड एवं दृश्यता आदि के आधार पर गाडी को उस गति से चलाया जाना चाहिए जिस पर वह नियंत्रण रख सके।

(ii) लोको पायलट को आगे के फाटक को बंद रखने के लिए तथा सडक उपयोगकर्ताओं को समपार पर गाडी पहुँचने की सूचना के लिए बार-बार सीटी बजाकर सचेत करेगा।

(iii) इंजन की फ्लेशर लाइट, हैड लाइट और मार्कर लाइट की उचित फोकसिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।

(iv) आने वाली गाडी का फ्लेशर लाइट दिखाई देते ही उचित कार्यवाही एवं जब आवश्यक हो अपने इंजन की फ्लेशर लाइट का उपयोग करना चाहिए।

(v) समपार फाटक, घुमाव, कटाव, सुरंग, इंजीनियरिंग कार्य स्थल पर पहुंचते समय बार-बार सीटी बजानी चाहिए।

(vi) जब आवश्यक हो गाडी का बचाव आवश्यक रूप से करना चाहिए तथा सभी सतर्कता आदेशों का कडाई से पालन करना चाहिए।

* * *

"थोडी देर कर दी" (व्यंग्य) श्री विजय कुमार शर्मा (रेलपथ,इंजी.प्रशि.)

एक नदी में डूबते हुए व्यक्ति ने, पुल पर चलते आदमी को देखकर आवाज लगाइ-बचाओ! बचाओ! पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा आओ, ऊपर आओ।

डुबता व्यक्ति कराह रहा था, रह रह कर चिल्ला रहा था अरे जिंदगी बडी महंगी है, अभी कल ही एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनते ही, पुल वाले व्यक्ति ने रस्सी खींच ली, और उसको डूबता मरता देख अपनी आंखे मींच ली। भागते दौडते एबीसी कंपनी के ऑफिस पहूंचा और अधिकारी को अपने सर्टिफीकेट प्रस्तुत करके बोला - सर, आपकी कंपनी का एक आदमी डूब कर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है, कृपया वो जगह मुझे दे दें। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया - आपने आने में थोडी देर कर दी। अभी थोडी ही देर पहले हमने वो जगह भर दी। और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उस व्यक्ति को धक्का देकर, आपसे पहले यहाँ आया है।

* * *

"नमस्ते - नमस्ते" श्री संजय कुमार राय (वरि.याता.प्रशि.)

नमस्ते - नमस्ते तुझे है नमस्ते, रहा मौन पगला कहा कुछ न तुझसे, राहो में छुपकर प्रतीक्षा थे करते। यही भूल मेरी तुझे प्रीति करती, अब प्रेम के दीप अपने हैं बुझते। नमस्ते - नमस्ते तुझे है नमस्ते।

न था सिख, हिन्दू, मुस्लिम से नाता, माना था दिल से इसी से तू भाता। मालिक के घर में सभी हैं अकेले, यहाँ सिख, हिन्दू, मुस्लिम के झमेले। नमस्ते - नमस्ते तुझे है नमस्ते। किस धर्म ने शिक्षा हिंसा की दी है, किस धर्म ने पीडा देना सिखाया, ईसा, मोहम्मद, तुम गीता को गाओ, नानक को भी याद तुम मन में लाओ, लिखा गीत पगला तडपते-तडपते।। नमस्ते - नमस्ते तुझे है नमस्ते।

बनना था गौतम, गाँधी, बोस तो मुझको, भटककर के पथ में बढाया हूँ गम को। संघर्ष ही है मेरी कहानी दिया लिया गम किसी ने न जानी। नमस्ते - नमस्ते तुझे है नमस्ते।

अर्चना है तुझसे अश्रु कलियां पिरोते, कहीं गिर न जाएं सम्भलते सम्भलते, नमस्ते - नमस्ते तुझे है नमस्ते।

* * *

कवि सम्मेलन

दिनांक 30.12.2011 को हास्य कवी सम्मेलन राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों के साथ-साथ अधिकारियोंने भी कवि के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। कुल 18 कविताएं प्रस्तुत की गई। प्रशिक्षार्शियों के स्वस्थ मनोरंजन होने पर प्राचार्य महोदय ने ऐसे आयोजन की। कार्यक्रम में श्री. एम.के.गोयल (सहा.परि.प्रबंधक) श्री. के.के.वर्मा (उप प्राचार्य) के अतिरिक्त प्राचार्य जी ने भी कविता सुनाकर प्रशिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का प्रभावी सुत्र संचालन श्री विजय काशीनाथ मोरे (वरि.याता.प्रशिक्षक) ने किया।

* * *

एस.एम.एस. फीड बैंक प्रणाली (संजय कुमार राय वरि.याता.प्रशिक्षक) रेल उपयोगकर्ताओं की शिकायत व सुझाव लेने के लिए दिनांक 16 अप्रैल 2009 से मध्यरेल पर यह शुरूआत की गई। भारतीय रेल पर इस प्रकार की शुरूआत मध्य रेल द्वारा तत्कालीन महाप्रबंधक श्री वी वी मोदगील ने की। प्रारंभ में मुंबई की उपनगरीय गाडियों के उपयोगकर्ताओं के फीड बैंक मोबाईल क्रमांक 9004411111 पर भेजे जाने की सुविधा थी जो काफी प्रशंसनीय रही व प्रारंभिक दो माह में ही ३००० एस एम एस प्राप्त हुए व संबंधित शिकायतों का निवारण भी किया गया। तत्पश्चात् मध्यरेल के पाँचों मंडलों पर सभी गाडियों के उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा प्रदान की गई। मध्य रेल के साथ साथ पश्चिम रेल पर भी यह सुविधा प्रदान की गई है। मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा सभी एस.एस.एस. ध्यान पर ध्यान दिया जाता है तथा महाप्रबंधक के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा शिकायतों का निवारण किया जाता है। एस.एस.एस. भेजने वाले को इसका जवाब भी शीघ्र दिया जाता है। इस प्रणाली में मोबाइल फोन के माध्यम से संगठन की कमी व अच्छाइयों को उजागर करने का मौका रेल उपयोगकर्ताओं को मिला है जो काफी लाभप्रद साबित हो रहा है।

रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अनुसार विभिन्न प्रकार के मानक फार्म - सूर्यकुमार (प्रवर लिपिक)

क्र. सं.	मानक प्रपत्र सं.	विवरण
1.	SF-1	निलंबन के आदेश नियम - 5(1)
2.	SF-2	माने गए निलंबन का आदेश नियम - 5(2)
3.	SF-3	बेरोजगार प्रमाणपत्र-नियम 1342(2)1987 संस्करण
4.	SF-4	निलंबन रद्द करने का आदेश - नियम 5(5) सी
5.	SF-5	बडी शास्ति की चार्जशीट (आरोप पत्र) - नियम 9
6.	SF-6	संलग्न दस्तावेज न देने का आदेश - नियम 9(16)
7.	SF-7	जाँच अधिकारी/बोर्ड को नामित करना नियम 9(2)
8.	SF-8	प्रस्तुति अधिकारी को नामित करना-नियम 9(iv)c
9.	SF-9	रद्द किया गया है।
10.	SF-10	संयुक्त कार्यवाही का आरोप पत्र - नियम १३
11.	SF-10 (ए)	संयुक्त कार्यवाही हेतू जाँच अधिकारी नामित करना - नियम 13
12.	SF-10 (बी)	संयुक्त कार्यवाही हेतू प्रस्तुति अधिकारी नामित करना - नियम 13
13.	SF-11	छोटी शास्ति की चार्जशीट (आरोपपत्र) - नियम ११
14.	SF-11 (बी)	छोटी शास्ति की जाँच हेतू चार्जशीट - नियम 11(1) (ब) 11(2)
15.	SF-11 (सी)	बडी शास्ति की चार्जशीट के बाद छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए - नियम 9(9) (अ)
16.	SF-12	नियम 14(I) के तहत कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन
17.	SF-13	नियम 2308 आर II के तहत स्वीकृती प्राप्त करने के लिए ज्ञापन
18.	SF-14	नियम 2308 आर II के तहत जाँच कार्यवाही के लिए मानक आरोप पत्र

रेलनेट पर पाठ्य सामग्री - निरंतर सुधार की कडीं में संस्थान के यतायात संकाय की पाठ्यसामग्री सामान्य एवं सहायक नियम के शुद्धीपत्रों सहित रेलनेट की http:\\10.154.26.100\ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। संबंधित रेलकर्मी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

* * *

अतिथियों का आगमन

१) दिनांक 16.11.11 को श्री राजीव दत्त शर्मा सी पी टी एम मध्य रेल, ने इस संस्थान में भेंट दी तथा सभी विभागों का निरीक्षण किया।

२) दिनांक 25.11.2011 को श्री वी.एस.मालेगांवकर (मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मध्य रेल) एवं उनकी मीडिया टीम का इस संस्थान में आगमन हुआ उन्होंने अपनी टीम के साथ संस्थान के सभी विभागों का निरीक्षण किया।

३) दिनांक 25.11.2011 को श्री आर.एस.कोचक (मुख्य यांत्रिक इंजीनियर मध्य रेल), एवं श्री पी बारापात्रे (अपर मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल) ने इस संस्थान में भेंट दी तथा सभी विभागों का निरीक्षण किया तत्पश्चात सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ बैठक में शामिल हुए।

बधाई / विदाई / स्वागत

- दिनांक 26.11.2011 को श्री एस.बी.करवंदे, श्री व्ही.एन.शुक्ला (सहा.परिवहन प्रबंधक) के क्रमश: पुणे व भुसावल मंडल में स्थानांतरण पर विदाई।
- श्री एम.के.गोयल (सहा परिवहन प्रबंधक) का संस्थान में आगमन पर स्वागत।
- श्रीमती नीरू सक्सेना (वरि.वाणिज्य प्रशिक्षक) का संस्थान में आगमन पर स्वागत।
- श्री ए.जी.गाडगील ने अंतरमंडल सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुगम संगीत में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई।

कौमी एकता सप्ताह

संस्थान में दिनांक 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया गया। इस अवधि में दिनांक 23.11.2011 को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान फंड रेजिंग किया गया 38,320/- (अडतीस हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) की राशि संग्रहित की गई। जिसे नेशनल फाऊंडेशन ऑफ कम्युनल हारमौनी नई दिल्ली के खाते में जमा किया गया। जिसमें श्री एस.टी.बाविस्कर श्री सुनील परदेशी श्री विरेंद्र वडनेरे श्री एल.एन.निर्मलकर श्री एस.एस.खरे का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

महापरिनिर्वाण दिवस -

दिनांक 6 दिसंबर 2011 को भारत रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की 55 वीं पुण्य तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय तथा सभी अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलन किया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षक, कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित हुए। प्रशिक्षार्थियों ने भी कतार बद्ध होकर बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्राचार्य महोदय ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि बाबासाहेब के जीवन आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजली अर्पित कर सकते हैं।

वार्षिक महोत्सव - दिनांक 17.12.2011 को डब्ल्यु.एस.एस.सी. द्वारा संचालित के.जी.स्कूल के नन्हें मुन्हें बच्चों ने वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में नृत्य, कविता, नाटिका की रंगारंग प्रस्तुती दी। जिसके लिए डब्ल्यु.एस.एस.सी. की अध्यक्षा श्रीमती शोभा सक्सेना तथा प्राचार्य जी ने सभी बच्चों को पुरस्कृत किया।

क्रिकेट टूर्नामेंट - दिनांक 09.11.11 से 18.11.11 तक अंतर संकाय क्रिकेट टुर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न संकाय की 8 टीमों ने भाग लिया। सभी मैच 12 ओवर के खेले गए। अंतिम मुकाबला वाणिज्य संकाय व स्टॉफ की टीम के बीच खेला गया जिसमें वाणिज्य संकाय विजयी रही। विजेता व उपविजेता टीम को रनर ट्राफी व पुरस्कार से सम्मनित किया गया।

वाली बॉल टूर्नामेंट - दिनांक 16.12.11 से 22.12.11 तक वाली बॉली टूर्नामेंट का आयोजन इंस्टीट्युट द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में विभिन्न संकाय की 6 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का फायनल मैच वाणिज्य संकाय व डीजल संकाय के बीच खेला गया जिसमें वाणिज्य संकाय की टीम विजयी रही। विजेता टीम को रनर ट्राफी व सभी खिलाडियों को प्राचार्य महोदय द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उपरोक्त दोनो टूर्नामेंट के सफल आयोजन में खेल सचिव श्री विवेक कुमार, श्री एस. एस. खरे, श्री विरेंद्र वडनेरे महासचिव, श्री एल.एन.निर्मलकर (वरि.इंजी.प्रशिक्षक) ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

संपादक मंडल

संरक्षक	:	श्री. झेड.ए.सिद्दीकी (मुख्य परिचालन प्रबंधक)
मार्गदर्शन	:	श्री. प्रभात रंजन (मुख्य यातायात योजना प्रबंधक)
मुख्य संपादक	:	श्री. एल.एम.सैयद (प्राचार्य)
		श्री. के.के.वर्मा (उप प्राचार्य)
संपादक	:	श्री. एम.के.गोयल (सहा.परि.प्रबंधक)
		श्री. अरूण प्रताप श्रीराम (सहा.मंडल विद्युत इंजी.)
संकलक	:	श्री. विजय काशीनाथ मोरे (वरि.यातायात प्रशिक्षक)
ग्राफिक्स/सज्जा	:	श्री. शशिकांत केशव माली (वरि.सिमुलेटर प्रशिक्षक)
छायांकन	:	श्री. अतुल एम. दांडवेकर (वरि.यातायात प्रशिक्षक)
सहयोग	:	श्री. ए.के.सिंह (वरि.यातायात प्रशिक्षक)